उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-57/2017/3196/पांच-8-2017-म(178)/2012टीसी0
लखनऊ: दिनांक 30 , जून, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में द्विवर्षीय डिप्लोमा इन चाईल्ड हेल्थ (डी0सी0एच0) कराये जाने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-21फ/सं0रो0/ए0ई0एस0/जे0ई0/डी0सी0एच0/2015/793-94, दिनांक 15-05-2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार पात्र चिकित्साधिकारियों का डिप्लोमा सत्र 2017-19 हेतु सेवा विवरण निम्नवत है:-

क्र0सं0	चिकित्साधिकारी का नाम	श्रेणी	सेवा में आने की तिथि	कार्यरत स्थान
1	2	3	4	5
1	डा0 अतुल मिश्रा	सामान्य	01-09-2006	जिला चिकित्सालय, बहराइच
2	डा0 ओम प्रकाश वर्मा	सामान्य	14-12-2006	प्राथ0स्वा0 केन्द्र, बसुधर पाह, बलिया
3	डा0 अविनाश झां	सामान्य	29-12-2006	प्राथ0स्वा0 केन्द्र, तरवा, आजमगढ़
4	डा0 सन्दीप कुमार शुक्ला	सामान्य	12-07-2007	सामु0स्वा0 केन्द्र, मसकनवा, गोण्डा
5	डा0 देवेन्द्र कुमार	सामान्य	09-08-2007	सामु0स्वा0 केन्द्र, नवाबगंज, गोण्डा
6	डा0 पुष्पेन्द्र शर्मा	सामान्य	13-08-2007	सामु0स्वा0 केन्द्र, अनवल खेड़ा, आगरा
7	डा0 अश्वनी कुमार पाण्डेय	सामान्य	19-08-2009	सामु0स्वा0 केन्द्र, फाजिलनगर, कुशीनगर
8	डा0 राजीव कुमार त्रिपाठी	सामान्य	24-08-2009	प्राथ0स्वा0 केन्द्र, बाबागंज, प्रतापगढ़
9	डा0 सन्तोष सिंह	सामान्य	29-08-2009	प्राथ0स्वा0 केन्द्र, घुंघतेर, बाराबंकी
10	डा0 शादाब आलम	सामान्य	29-08-2009	प्राथ0स्वा0 केन्द्र, सरसई नवार, इटावा
11	डा0 सुरेश कुमार वर्मा	अ0पि0व0	31-08-2006	प्राथ0स्वा0 केन्द्र, बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर
12	डा0 वाशुदेव वर्मा	अ0पि0व0	26-12-2008	प्राथ0स्वा0 केन्द्र, जरवल, बहराइच
13	डा0 रविकान्त सिंह	अ0पि0व0	31-12-2008	न्यू प्राथ0स्वा0 केन्द्र, भवानीगंज, सिद्धार्थनगर
14	डा0 अमित कुमार	अ0पि0व0	31-12-2008	प्राथ0स्वा0 केन्द्र, चितौरा, बहराइच
15	डा0 प्रणय स्मृति	अ0पि0व0	01-01-2009	प्राथ0स्वा0 केन्द्र, बबहनजोट, गोण्डा
16	डा0 नरेन्द्र सिंह	अ0पि0व0	15-01-2009	सामु0स्वा0 केन्द्र, सूरतगंज, बाराबंकी
17	डा0 विरेन्द्र कुमार गौतम	अनु0 जाति	25-09-2006	सामु0स्वा0 केन्द्र, मुबारकपुर, आजमगढ़
18	डा0 हृदयानन्द प्रसाद	अनु0 जाति	18-07-2007	नया प्राथ0स्वा0 केन्द्र, कोइलसवां, कुशीनगर
19	डा0 रमेश कुमार	अनु0 जाति	05-01-2007	प्राथ0स्वा0 केन्द्र, सचेण्डी, कल्याणपुर, कानपुर नगर

u.o.m.n

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

20	डा0 अनुज कुमार चौधरी	अनु0 जाति	12-12-2008	न्यू प्राथ0स्वा0 केन्द्र, रेदुआ पलहारी, बाराबंकी

2- पूर्वान्चल में ए0ई0एस0/जे0ई0 को नियन्त्रित करने हेतु विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध कराये जाने हेतु पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के उपर्युक्त 20 चिकित्साधिकारियों को बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर से डिप्लोमा इन चाईल्ड हेल्थ (डी0सी0एॅच0) कराये जाने हेतु एतदद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

3- उपर्युक्त प्रस्तर-1 में वर्णित चिकित्साधिकारियों की अध्ययन की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों पर प्रदान की जाती है-

(1) अध्ययन की अवधि को डयूटी पर माना जायेगा और उन्हें वहीं वेतन व मंहगाई भत्ता अनुमन्य होगा, जो उनके प्रशिक्षण में न जाने पर डयूटी में देय होता है। अध्ययन अवधि में नगर प्रतिकर भत्ता/मकान किराया भत्ता यदि अनुमन्य हो तो दिये जाने के पूर्व उनसे सहायक नियम-152एफ में निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

(2) चिकित्साधिकारियों के अध्ययन हेतु उनकी तैनाती के स्थान से संबंधित मेडिकल कालेज में आने तथा वापस जाने के लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 में निहित नियमों के अनुसार सामान्य दरों पर यात्रा भत्ता देय होगा, किन्तु उन्हें अपने अध्ययनकाल में कोई दैनिक भत्ता अनुमन्य न होगा।

(3) अध्ययन में पूर्व अथवा बाद में कोर्स ज्वाईनिंग टाईम अनुमन्य न होगा, किन्तु वास्तविक समय अध्ययन के स्थान पर जाने तथा वापस आने में लगेगा वह अध्ययन अवधि का ही भाग समझा जायेगा।

(4) उक्त अध्ययन में प्रवेश, प्रशिक्षण लाईब्रेरी तथा परीक्षा शुल्क संबंधी व्यय चिकित्साधिकारियों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा स्नात्कोत्तर (डिप्लोमा) पाठयक्रम का कार्यकाल 02 वर्ष होगा।

(5) प्रशिक्षण 02 वर्ष में पूर्ण करना होगा अधिकतम 02 बार और परीक्षा देने का अवसर दिया जायेगा।

प्रशिक्षण हेतु आवेदन करते समय चिकित्साधिकारी को शपथ पत्र देना होगा कि वे प्रशिक्षण उपरान्त ए0ई0एस0/जे0ई0 प्रभावित जनपदों में कम से कम 05 वर्ष तक सेवा प्रदान करेंगे।

प्रशिक्षण उपरान्त 05 वर्ष की अवधि के भीतर यदि चिकित्साधिकारी का स्थानान्तरण किन्ही कारणों से ए0ई0एस0/जे0ई0 रोग से प्रभावित जनपदों के अतिरिक्त किसी अन्य जनपद में हो जाता है तो सम्बन्धित चिकित्साधिकारी अपने नियंत्रक अधिकारी को 05 वर्ष तक की अवधि पूर्ण होने तक ए0ई0एस0/जे0ई0 प्रभावित जनपदों में सेवा देने के शपथ पत्र के विषय में अवगत करायेगा, ऐसा न करने की दशा में उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी अथवा यदि डिप्लोमा कोर्स करने के उपरान्त शासकीय सेवा छोड़ देता

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

है तो उपरोक्त वर्णित दोनों ही दशाओं में प्रशिक्षण काल में देय वेतन के बराबर धनराशि विभाग को प्रतिपूर्ति करनी पड़ेगी।

(6) चिकित्साधिकारियों से शासनादेश संख्या-1653/चि-3-11-जी-179/2005, दिनांक 25-05-2011 में उल्लिखित आशय का अनुबन्ध निष्पादित कराया जायेगा।

(7) उन्हें स्नात्कोत्तर योग्यता वेतन अनुमन्य नहीं होगा।

(8) डिप्लोमा पूर्ण करने के उपरान्त चिकित्साधिकारी स्वत. विशेषज्ञ सेवा कर सकेगें।

(9) संबंधित चिकित्साधिकारियों के प्रशिक्षण अवधि का वेतन व भत्ते उनके मूल तैनाती स्थान से आहरित होगें।

(10) उक्त अध्ययन के उपरान्त संबंधित चिकित्साधिकारी अपनी मूल तैनाती स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करेगें। इस अवधि में उनका स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।

(11) उपर्युक्त स्नात्कोत्तर अध्ययन हेतु संबंधित चिकित्साधिकारी अपने वर्तमान तैनाती स्थान से स्वत: कार्यमुक्त समझे जायेगें।

वी0 हेकाली झिमोमी
सचिव।

संख्या-57/2017/3196 (1)/पांच-8-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक/निदेशक(प्रशिक्षण),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3- प्राधानाचार्य बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर।
4- निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक ए0ई0एस0/जे0ई0, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
6- सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी (द्वारा निदेशक प्रशासन)
7- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बहराइच (द्वारा निदेशक प्रशासन)
8- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-3
9- चिकित्सा अनुभाग-2/3
10- प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजीत कुमार)
विशेष सचिव।

u.o.m.n

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।